

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



एक वर्ष
परिणाम उत्कर्ष
“हर घर खुशहाली”




श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

दिशा-निर्देशिका



आपणो अग्रणी राजस्थान



राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (street vendors) तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रुपये 3000 /- (अक्षरे राशि रुपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

1. योजना का नाम, प्रारम्भ और अनुप्रयोज्यता:-

1. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 2024 है।
2. यह योजना आदेश जारी किये जाने की तिथि से सम्पूर्ण राजस्थान में प्रवृत्त होगी।
3. इस योजना के उपबन्ध, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (Street vendor) तथा लोक कलाकारों पर लागू होंगे।
4. योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा किया जायेगा।

2. परिभाषाएं:-

इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

1. "राज्य सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।
2. "योजना" से अभिप्राय मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से है।
3. "पात्र अभिदाता" असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (Street vendor) तथा लोक कलाकार से अभिप्रेत है।
4. "परिवार" से पुरुष पात्र अभिदाता के मामले में उसकी पत्नी तथा महिला पात्र अभिदाता के मामले में उसका पति अभिप्रेत है।
5. "पेंशन" से इस योजना के अधीन पात्र अभिदाता को देय रकम अभिप्रेत है।
6. "अंशदान" से पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि में इस योजना के अंशदान चार्ट में विनिर्दिष्ट मासिक आधार पर किसी पात्र अभिदाता द्वारा संदेय की जाने वाली रकम अभिप्रेत है।
7. पारिवारिक पेंशन से पात्र पेंशनर की मृत्यु पश्चात उसके पति/पत्नी को देय पेंशन अभिप्रेत है।

8. "राजकीय अंशदान" से पात्र अभिदाता के खाते में सरकार द्वारा संदेय रकम अभिप्रेत है।
9. "निदेशक बीमा" राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान के निदेशक से अभिप्रेत है।
10. पेंशन फण्ड मैनेजर से अभिप्राय योजना में प्राप्त अंशदान राशि के लेखा संधारण, डाटाबेस मैनेजमेंट, निवेश, पेंशन प्रदायगी आदि सेवा प्रदाता संस्था से है।

3. राज्य पेंशन निधि:-

1. राज्य सरकार, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो सरकार द्वारा प्रशासित की जाने वाली राज्य पेंशन निधि का गठन करेगी, जिसमें पात्र अभिदाताओं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा किया जावेगा।
2. पात्र अभिदाता, जो इस योजना में सम्मिलित होता है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित ऐसे सम्मिलित होने के समय पात्र अंशदाता की आयु के अनुसार, राज्य पेंशन निधि में इस योजना के अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगा।
3. राज्य सरकार भी राज्य पेंशन निधि में किसी पात्र अभिदाता की आयु के अनुसार, इस योजना के अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगी।
4. उप-पैरा (1), (2) एवं (3) के अधीन संदेय प्रत्येक अंशदान को इस तरह से पूर्णांक बनाया जाएगा जिससे पचास पैसे अथवा उससे अधिक की रकम को अगले उच्चतर रूपये में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम रूपये के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4. योजना में सम्मिलित होने की पात्रता:-

1. यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (Street vendor) तथा लोक कलाकार के लिए खुली होगी, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा जिसकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हों तथा केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल (E-Shram) से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या हो।

2. उप-पैरा (1) में वर्णित श्रमिक, पथ विक्रेता (**Street vendor**) तथा लोक कलाकार योजना में सम्मिलित होते समय अठारह वर्ष से कम तथा पैतालीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो।
3. उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (**Street vendor**) तथा लोक कलाकार इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वह आयकर दाता हो।

5. योजना में पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया :-

इस हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी जायेगी, इस संबंध में निदेशक, बीमा के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य में राज्य के श्रम विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिन्हें राज्य सरकार निर्धारित करें, से अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा।

6. अंशदानों के संदाय में व्यतिक्रम के लिए नुकसान की वसूली:-

जहां कोई पात्र अभिदाता इस योजना के अधीन नियम 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि में उसके द्वारा संदेय किए जाने वाले किसी अंशदान के संदाय में व्यतिक्रम करता है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय यथा-अवधारित ब्याज दर के साथ उसके सम्पूर्ण बकाया देय का संदाय करके, उसके अंशदान को नियमित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

7. योजना को छोड़ने पर देय राशि :-

इस योजना से बाहर निकलने के उपबंध एवं देय राशि निम्नवत हैं :-

1. किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने के तीन वर्ष के (लॉक-इन पीरियड) पश्चात् तथा दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बैंक बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा।

2. यदि कोई पात्र अभिदाता इस योजना में सम्मिलित होने से दस वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर अथवा उस रकम पर बैंक बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो के साथ लौटाया जाएगा।
3. यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किए हैं और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हों, ब्याज सहित अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा/होगी।
4. अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात्, यह समग्र राशि राज्य पेंशन निधि में वापस जमा की जाएगी।
5. उपर्युक्त ,खण्ड (1), (2) और (3) के कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग राज्य पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।
6. नामांकन सहित छोड़ने का कोई अन्य उपबंध, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी करके विनिश्चित किया जाए।

8. निःशक्तता की स्थिति में देय राशि :-

यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोड़ने का हकदार होगा/होगी तथा इस कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग राज्य पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।

9. पेंशन का भुगतान:-

1. एक बार पात्र अभिदाता, 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा।
2. इस योजना के अधीन प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रुपये प्राप्त करेगा।
3. इस योजना के तहत पात्र अभिदाताओं को पेंशन, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन फण्ड मैनेजर (PFM) अथवा राज्य पेंशन निधि (यथा स्थिति) द्वारा भुगतान की जावेगी।

10. पारिवारिक पेंशन :-

पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी तथा ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।

11. विभागों की सहभागिता:-

राज्य सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के दायित्व निम्नानुसार होंगे :

1. **प्रशासनिक विभाग** – वित्त (बीमा) विभाग रहेगा।
2. **नोडल विभाग**— राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उक्त योजना का संचालन, पर्यवेक्षण, समन्वय, समस्या समाधान, दावों के निस्तारण (यथास्थिति) आदि से संबंधित कार्यों का निर्वहन करेगा।
3. **सहयोगी विभाग** यथा श्रम विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिनका योजना के लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संबंध हो के द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार, लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों का योजना से जुड़ाव, नामांकित लाभार्थियों का योजना में निरन्तर बनाया रखना आदि दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

12 अंशदान तालिका, अंशदान चार्ट { पैरा 3(1), पैरा 3(2), पैरा 3(3), पैरा 3(4) देखें }

प्रवेश आयु (वर्ष में)	अधिवार्षिकी आयु (वर्ष में)	सदस्यों का मासिक अंशदान (रूपये में)	राज्य सरकार का मासिक अंशदान (रूपये में)	योग (3)+(4)	केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रूपये में)	कुल मासिक अंशदान (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
18	60	40	15	55	55	110
19	60	42	16	58	58	116
20	60	44	17	61	61	122
21	60	46	18	64	64	128
22	60	48	20	68	68	136
23	60	50	22	72	72	144
24	60	52	24	76	76	152
25	60	54	26	80	80	160
26	60	56	29	85	85	170
27	60	58	32	90	90	180
28	60	60	35	95	95	190
29	60	62	38	100	100	200
30	60	64	41	105	105	210
31	60	66	44	110	110	220
32	60	68	52	120	120	240
33	60	70	60	130	130	260
34	60	72	68	140	140	280

प्रवेश आयु (वर्ष में)	अधिवार्षिकी आयु (वर्ष में)	सदस्यों का मासिक अंशदान (रूपये में)	राज्य सरकार का मासिक अंशदान (रूपये में)	योग (3)+(4)	केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रूपये में)	कुल मासिक अंशदान (रूपये में)
35	60	75	75	150	150	300
36	60	78	82	160	160	320
37	60	81	89	170	170	340
38	60	84	96	180	180	360
39	60	87	103	190	190	380
40	60	90	110	200	200	400
41	60	100	320	420	---	420
42	60	100	340	440	---	440
43	60	100	360	460	---	460
44	60	100	380	480	---	480
45	60	100	400	500	---	500

13. शंकाएं इत्यादि का समाधान:-

योजना में लाभार्थियों की पात्रता, योजना के क्रियान्वयन, दावा निस्तारण में या अन्य किसी बिन्दु पर यदि कोई शंका / कठिनाई उत्पन्न होती है तो-

1. ऐसी स्थिति में, मामले को निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान को निर्दिष्ट किया जाकर समुचित समाधान किया जायेगा।
2. निदेशक, बीमा के स्तर से किसी प्रकरण में समाधान नहीं होने की स्थिति में मामले को शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार को भेजा जाएगा जिसका स्पष्टीकरण / निर्णय अंतिम होगा।
3. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को की जा सकेगी।

14. वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप

उक्त योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन यथा लाभार्थी डाटाबेस मैनेजमेंट, निजी अंशदान एवं राजकीय अंशदान संग्रहण/हस्तान्तरण, शिकायत निवारण, दावा निस्तारण आदि गतिविधियों हेतु एक वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप विकसित करवाकर उसका भारत सरकार के श्रमयोगी पोर्टल एवं अन्य पोर्टल से आवश्यकतानुसार इंटीग्रेशन कराया जायेगा।

15. राज्य की उक्त योजना के पात्र लाभार्थी जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करते हैं, उनको भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) में सम्मिलित किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा नियत लाभार्थी निजी अंशदान राशि में अंतर राशि का सहयोग तालिका के कॉलम संख्या 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, तदनुसार उक्त लाभार्थियों पर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान/आदेश/निर्देश लागू होंगे।
16. भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आयु वर्ग 41 से 45 वर्ष के लाभार्थियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस आयु वर्ग के श्रमिकों से 100/- प्रतिमाह निजी अंशदान तथा पैरा 12 की तालिका के कॉलम नम्बर 4 में यथा प्रस्तावित राजकीय अंशदान के रूप में राशि राज्य सरकार द्वारा जमा कर ट्रस्ट मोड पर इसे संचालित किया जायेगा।



“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास”





अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें:

अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि) द्वितीय तल, डी-ब्लॉक,
वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005
फोन नं. 0141-2740219

Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

